

## नई अर्थनीति

कुछ सर्वस्वीकृत सिद्धांत हैं—

- 1 राज्य का एक ही दायित्व होता है जानमाल की सुरक्षा। अन्य सभी कार्य राज्य के कर्तव्य होते हैं, दायित्व नहीं।
- 2 सम्पत्ति प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है। बिना व्यक्ति की सहमति के उसकी सम्पत्ति न टैक्स के रूप में ली जा सकती है, न ही कोई सीमा बनाई जा सकती है।
- 3 गरीबी, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, अशिक्षा दूर करना राज्य का दायित्व नहीं है। राज्य को इनके बढ़ाने में की जा रही अपनी भूमिका से दूर हो जाना ही पर्याप्त है।
- 4 किसी भी इकाई के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी अर्थव्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए एक बजट अवश्य बनावे और उसका पालन करे।
- 5 अर्थव्यवस्था में बाजार की स्वतंत्रता में सरकार का कोई भी हस्तक्षेप घातक होता है।
- 6 राजनीति से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति बाजारवाद का अधिक विरोध करता है।
- 7 महंगाई एक अस्तित्वहीन समस्या है। महंगाई होती ही नहीं। सरकारें जानबूझकर मुद्रा स्फीति बढ़ाते हैं और उसे महंगाई कहकर प्रचारित करते हैं।

समाजवाद का अर्थ होता है समाज सर्वोच्च। जिस तरह सम्प्रदायवाद ने धर्म शब्द का अर्थ विकृत करके उसे संगठनात्मक स्वरूप दे दिया उसी तरह साम्यवाद ने समाजवाद का अर्थ विकृत करके उसे अर्थ प्रधान कर दिया। आज समाजवाद शब्द पूरी तरह बदनाम हो गया है। यही कारण है कि हमलोगों ने समाजवाद शब्द को छोड़कर समाजीकरण शब्द का उपयोग शुरू कर दिया। साम्यवाद में कुव्यवस्था होती है और समाजवाद में अव्यवस्था। वास्तविक समाजवाद अर्थात् समाजीकरण में व्यवस्था होती है। समाजीकरण में राज्य किसी सामाजिक इकाई की आंतरिक स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता बल्कि ऐसी स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। इस गारंटी के परिपालन में हो रहे खर्च तक ही राज्य आर्थिक व्यवस्था कर सकता है, इससे अधिक नहीं। आज तो स्थिति यह है कि राज्य पूरे समाज की अर्थ नीति का निर्माता बन गया है। राज्य गरीबी दूर कर रहा है तो रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य भी अपने जिम्मे ले रहा है। न्याय और सुरक्षा तो वह सम्हाल नहीं पा रहा और भूख मिटाने के प्रयत्न कर रहा है। परिणाम यह है कि न उससे भूख मिट रही है न असुरक्षा।

भारतीय संविधान में सम्पत्ति को मौलिक अधिकार माना गया था जिसे बहुत बाद में कुछ राजनेताओं ने संविधान से निकालकर मनमाने तरीके से समाजवाद शब्द घुसा दिया। सम्पत्ति मौलिक अधिकार होता है और कोई भी व्यक्ति या सरकार उसकी सहमति के बिना कोई टैक्स नहीं ले सकती। दुनिया में जो टैक्स की परंपरा है वह एक प्रकार से व्यक्ति के जानमाल की सुरक्षा का टैक्स है और उस टैक्स को उसकी सहमति मान लिया जाता है। यदि कोई सरकार अनावश्यक टैक्स वसूल करती है तो विश्व व्यवस्था उसे इसलिए रोक सकती है क्योंकि व्यक्ति विश्व व्यवस्था का सदस्य है, राष्ट्र का नहीं। राष्ट्र के लिए तो व्यक्ति सिर्फ नागरिक मात्र होता है। यह अलग बात है कि अभी दुनिया में ऐसी कोई सर्वस्वीकृत विश्व व्यवस्था नहीं बन पायी है जिससे व्यक्ति और नागरिक की अलग अलग पहचान बन सके, क्योंकि साम्यवाद और इस्लाम व्यक्ति के मूल अधिकारों को ही नहीं मानता। इसका अर्थ हुआ कि या तो साम्यवाद और इस्लाम अपने विचारों में संशोधन करें अथवा समाप्त हो जाये तभी कोई सर्वस्वीकृत विश्व व्यवस्था बन सकती है। यह हमारा सौभाग्य है कि भारत इस्लाम और साम्यवाद से मुक्त है। भारत में लोकतंत्र भी है और भारत विश्व व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ भी है।

भारत की सरकारें निरंतर प्रयास करती हैं कि गरीबी , बेरोजगारी,मुद्रा स्फीति, आर्थिक असमानता, श्रमशोषण जैसी आर्थिक समस्यायें लगातार बढ़ती रहें। इसके लिए वे निरंतर प्रयत्नशील रहती हैं क्योंकि यदि गरीबी , बेरोजगारी,मुद्रा स्फीति,श्रमशोषण ही कम हो जायेंगे तो सरकारों के पास राजनीति का खेल खेलने के लिए कोई खुला मैदान ही नहीं मिलेगा। यदि सरकारें इनसे बाहर हो जाये तो ये समस्याये अपने आप सुलझ सकती हैं।

मैंने बजट पर बहुत विचार किया। टैक्स इस प्रकार से लगाया जाना चाहिए कि वह गरीब ग्रामीण श्रमजीवी को बिल्कुल प्रभावित न करें और सक्षम व्यक्तियों से ही पूरा कर लिया जाये। इसका अर्थ हुआ कि यदि उपभोक्ता वस्तुओं से कर लेना बिल्कुल मजबूरी हो तो सभी वस्तुओं की सूची बनाकर उसमें क्रमानुसार नीचे से टैक्स इस प्रकार लगे कि उपर जाते जाते वह शून्य हो जाये। रोटी, कपडा ,मकान, दवा क्रमानुसार उपर से शुरू होते हैं। उसके बाद आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य का नंबर आता है। उसके बाद ही मनोरंजन की वस्तुये होती हैं। सरकार को रोटी, कपडा, मकान, दवा को टैक्स फ्री रखना चाहिए था किन्तु सरकारें आमतौर पर इन पर टैक्स लगाती हैं और आवागमन ,मोबाईल जैसी वस्तुओं को आम उपयोग की वस्तु बताकर उन्हें सस्ता रखती हैं। इसी तरह राज्य का यह दायित्व नहीं कि वह आर्थिक विषमता दूर करे। राज्य तो आर्थिक विषमता दूर करने के नाम पर ऐसी नीति बनाता है जिससे आर्थिक विषमता बढ़ती चली जाती है। कितने दुख की बात है कि भारत आर्थिक मामलों में इतनी तेजी से आगे आ रहा है इसके बाद भी भारत में 20 करोड ऐसे लोग हैं जो तीस रु से कम पर जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकारें कृत्रिम उर्जा को इतना सस्ता बनाकर रखती हैं कि वे गरीब ग्रामीण श्रमजीवी को प्रतिस्पर्धा से बिल्कुल बाहर कर देती हैं। राष्ट्रीय प्रगति का सर्वश्रेष्ठ मापदण्ड यह होता है कि देश में श्रम का मूल्य कितना बढ़ा क्योंकि श्रम का मूल्य बढ़ना ही गरीब ग्रामीण श्रमजीवी की प्रगति का एकमात्र मापदण्ड होता है। स्वतंत्रता के बाद के 70 वर्षों में श्रम का मूल्य भारत में करीब दोगुना ही बढ़ पाया जबकि बुद्धिजीवियों का जीवन स्तर लगभग आठ गुना आर पूँजीपतियों का औसत 64 गुना बढ़ा माना जाता है। यह हमारे लिए राजनैतिक षडयंत्र का स्पष्ट प्रमाण है। राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा में कभी बाधक नहीं बनना चाहिए किन्तु राज्य प्रतिस्पर्धा में बाधक बनता है। वह खुले बाजार में भी हस्तक्षेप करता है। वह किसानों के उत्पादन का मूल्य भी नहीं बढ़ने देता। यहाँ तक कि राज्य प्राकृतिक और जैविक खाद की तुलना में कृत्रिम खाद तक को सबसीडी देता रहता है क्योंकि राज्य की नीयत में खोट है। राज्य निजी स्कूलों से स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा न करके उन्हें हर तरह से कानून के जाल में फसा कर रखना चाहता है।

मैं समझता हूँ कि भारत नई अर्थव्यवस्था के माध्यम से सारी दुनिया के सामने आदर्श प्रस्तुत कर सकता है। सारी दुनिया यह प्रयास करती है कि वह अपना सामान दूसरे देशों में भेजकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करे भले ही उससे आयातक देश के गरीब लोगों का शोषण ही क्यों न हो। इस निर्यात की बीमारी के कारण ही अपने देश में कृत्रिम उर्जा को इतना सस्ता रखा जाता है कि वहाँ श्रम का मूल्य न बढ़े और निर्यातक वस्तुये दुनिया से प्रतिस्पर्धा कर सके। भारत को इस प्रकार की पहल करनी चाहिए कि भारत न निर्यात के लिए अपने देश का शोषण करेगा, न ही आयात की मजबूरी में फंसा रहेगा। इसके लिए पूरा आर्थिक ढाँचे को बदलने की आवश्यकता है। सिर्फ दो प्रकार के टैक्स लगाये जाने चाहिए। 1 सुरक्षा कर 2 समानता कर। सुरक्षा कर के रूप में भारत के प्रत्येक व्यक्ति से उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति पर एक पर दो प्रतिशत वार्षिक टैक्स लेना ही पर्याप्त होगा। इस टैक्स के माध्यम से सरकार का सेना पुलिस वित्त विदेश न्याय जैसा आवश्यक खर्च पूरा हो जायेगा। अन्य सब प्रकार के इन कम टैक्स या अन्य टैक्स पूरी तरह समाप्त हो जायेंगे। समानता कर के रूप में भारत में उपयोग की जाने वाली सम्पूर्ण कृत्रिम उर्जा का मूल्य बढ़ाकर ढाई गुना कर दिया जायेगा और इससे प्राप्त सारा धन प्रत्येक व्यक्ति को बराबर बराबर इस प्रकार बाँट दिया जायेगा जिससे उसकी आवश्यकताये पूरी हो सके। किसी को किसी भी प्रकार की अन्य सुविधाये समाप्त कर दी जायेगी। किसी अन्य सुविधा के लिए सरकार बाजार से प्रतिस्पर्धा करेगी और सुविधा के लिए फोस ले सकती है किन्तु कर नहीं।

मेरे आकलन के अनुसार दो प्रतिशत सम्पत्ति कर से पूरे देश में करीब 20 लाख करोड रुपया सरकार को मिल सकता है। इस बजट में सरकार का सारा खर्च अच्छी तरह चल सकता है। कृत्रिम उर्जा की मूल्यवृद्धि से भी सरकार को वार्षिक 20 लाख करोड मिल सकता है। यह राशि भी प्रत्येक व्यक्ति को 15 हजार रु वार्षिक के हिसाब से आवश्यक उपयोग के लिए दी जा सकती है। इसका अर्थ हुआ कि पाँच व्यक्तियों के

परिवार को करीब 75 हजार रु वार्षिक मिल सकता है। इस कार्य को एकाएक करना कठिन है। सम्पत्ति कर तो तत्काल किया जा सकता है किन्तु कृत्रिम उर्जा की मूल्यवृद्धि एकसाथ करना अव्यवस्था का कारण बन सकती है। मेरे विचार से प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत मूल्यवृद्धि करके उससे प्राप्त सारा धन प्रत्येक व्यक्ति को समान स्तर पर दिया जा सकता है। यदि सबकी सहमति हो तो यह समानता कर से प्राप्त राशि सिर्फ आधी गरीब आबादी में भी बांटी जा सकती है जिससे उन्हें वर्ष में 30 हजार रु प्रति व्यक्ति भी मिल सकता है। मुझे तो लगता है कि भारत की जनता इस समानता कर और वितरण का पुरजोर समर्थन करेगी। वर्तमान समय में जनता कृत्रिम उर्जा मूल्यवृद्धि का इसलिए विरोध करती है कि वह सरकार के खजाने में जाता है उसके व्यक्तिगत खजाने में नहीं।

भारत जिस तरह भ्रष्टाचार, अपराध वृद्धि, अनैतिकता की दिशा में बढ़ रहा है उसके आर्थिक समाधान के रूप में नई अर्थनीति बहुत सहायक हो सकती है। सरकार को सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का निजीकरण कर देना चाहिए। मांग और पूर्ति के आधार पर वस्तु से अपना महत्व और मूल्य निर्धारित करने की स्वतंत्र हो। मांग और पूर्ति के आधार पर मजदूर और मालिक स्वतंत्रता से प्रतिस्पर्धा कर सकें। सरकार अपना अपराध नियंत्रण में भी अधिक सफल हो सकेगी क्योंकि अन्य आलतू फालतू खर्चे बंद होकर सरकार को सेना पुलिस और न्याय पर अधिक खर्च करने की सुविधा प्राप्त हो जायेगी।

मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ कि मैं वर्तमान समय में दुनिया का सबसे अधिक सुखी और संतुष्ट व्यक्ति हूँ। आर्थिक, सामाजिक, तथा वैचारिक धरातल पर मैंने क्षमता और कल्पना से अधिक उपलब्धि प्राप्त की है। मैंने हमेशा आर्थिक, सामाजिक मामलों में लिक से हटकर नये मार्ग तलाशे हैं। इन सबका श्रेय मैं नई आर्थिक सामाजिक राजनैतिक व्यवस्था को देता हूँ। इसलिए मैं इस नई अर्थव्यवस्था का पक्षधर हूँ।

मंथन कमांक 62

भौतिक या नैतिक उन्नति

कुछ सर्वस्वीकृत सिद्धांत हैं—

- 1 किसी भी व्यक्ति की भौतिक उन्नति का लाभ मुख्य रूप से व्यक्तिगत होता है और नैतिक उत्थान का लाभ समूहगत या सामाजिक।
- 2 अधिकारों के लिए चिंता या प्रयत्न भौतिक उन्नति के उद्देश्य से किये जाते हैं और कर्तव्यों का प्रयत्न नैतिक उत्थान के निमित्त होता है। कर्तव्य हमेशा समाज को लाभ देते हैं।
- 3 धर्म हमेशा ही नैतिकता को मजबूत करता है। समाज नैतिकता और भौतिक उन्नति के बीच संतुलन बनाता है। राज्य सिर्फ आपराधिक आचरण से रोकता है।
- 4 व्यक्ति की भौतिक उन्नति और नैतिक उन्नति के बीच संतुलन होना चाहिए। सिर्फ भौतिक उन्नति हमेशा गलत दिशा में ले जा सकती है और सिर्फ नैतिकता व्यक्ति को निराश या असफल भी कर सकती है।
- 5 हर शरीफ या धूर्त चाहता है कि दूसरे लोग भौतिक प्रगति की जगह नैतिकता पर अधिक ध्यान दें। शरीफ आदमी अपने निकट के लोगों को अधिक कर्तव्य प्रेरित करता है तो धूर्त दूसरे लोगों को अधिक कर्तव्य प्रेरित करता है।

यदि हम भौतिक उन्नति और नैतिक पतन का विश्वव्यापी आकलन करें तो स्पष्ट है कि सारी दुनिया बहुत तेज गति से भौतिक प्रगति की दिशा में बढ़ रही है। सब प्रकार की सुविधाएं बढ़ रही हैं। ब्रम्हांड की खोज तक दुनिया निरंतर तेज गति से आगे बढ़ रही है। यहाँ तक कि गॉड पार्टिकल तक की खोज अंतिम चरण में है। विज्ञान ने हर मामले में इतनी सुविधायें जुटा दी हैं कि निकट भविष्य में कृत्रिम मनुष्य तक बनने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। इस भौतिक प्रगति के समानांतर विज्ञान ने विनाश के भी सारे साधन उपलब्ध करा दिये हैं। कब दुनिया में विश्वयुद्ध हो जाये और मनुष्य समाप्त हो जाये इसकी संभावना निरंतर बनी हुई है। भौतिक प्रगति के बाईं प्रोडक्ट के रूप में पर्यावरण प्रदूषण भी एक समस्या बना हुआ है। नई नई बीमारियाँ भी

बढ़ रही है तो उनका ईलाज भी उसी तरह बढ़ रहा है। बीमारियाँ और ईलाज एक दूसरे के पूरक बन गये हैं। जिस तरह दुनिया का प्रत्येक मनुष्य भौतिक प्रगति से सुख का अधिक अनुभव कर रहा है ठीक उसी गति से दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति किसी अज्ञात भय से चिंतित भी है। ये दोनों प्रक्रियाएँ पूरी दुनिया में एक साथ चल रही हैं। भौतिक प्रगति की दुनिया में जो गति है ठीक वही गति नैतिक पतन की भी दिख रही है। पूरी दुनिया का हर व्यक्ति प्रतिक्षण नैतिकता के मापदण्ड में नीचे जा रहा है। दुनिया इस प्रकार केन्द्रित हो गई है कि यदि दो व्यक्ति युद्ध की घोषणा कर दें तो सारी दुनिया मिलकर भी उन दोनों की इच्छा के विपरीत अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती और दोनों शक्तियों के बीच निरंतर टकराव का खतरा बना रहता है, बना हुआ है। एक तरफ मानवता के नाम पर सारी दुनिया को प्रवचन देने का काम भी चलता रहता है तो दूसरी तरफ सारी दुनिया में नैतिकता के सारे मापदण्डों के विपरीत तिकडम भी बढ़ती जा रही है। पूरी मानव जाति के स्वभाव में प्रतिक्षण आकोश की मात्रा बढ़ रही है। हर आदमी मजबूत से डर रहा है और कमजोर को डरा रहा है।

भारत भी भौतिक प्रगति और नैतिक पतन की विश्वव्यापी परिस्थितियों से अलग नहीं है। भारत में भी व्यक्ति से लेकर समूह तक की बहुत तेज गति से भौतिक उन्नति हो रही है। एक आकलन के अनुसार वर्तमान समय में भारत की भौतिक उन्नति प्रतिवर्ष छः से सात प्रतिशत की है। दूसरी ओर यदि हम नैतिक पतन का आकलन करें तो नैतिक पतन की भी वृद्धि दर प्रतिवर्ष छः से सात प्रतिशत अनुमानित होगी ही। छोटी छोटी बच्चियाँ तक सुरक्षित नहीं हैं। भाई भाई में विवाद तो आम बात हो गई है। किन्तु पति पत्नी के बीच भी निरंतर टकराव बढ़ रहे हैं। परिवार व्यवस्था टूट रही है। अविश्वास बढ़ रहा है। न्यायालयों में मुकदमों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। नकली संत एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आ गये हैं। भ्रष्टाचार, जालसाजी, धोखाधड़ी, मिलावट अनियंत्रित होती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा कि भौतिक प्रगति और नैतिक पतन के मामले में भारत किस दिशा में अधिक तेज गति से बढ़ रहा है। न्यायालयों में धर्मग्रंथों के उपर हाथ रखकर झूठी कसम खाना एक सामान प्रक्रिया बन गई है। राजनीति और धर्म तो लगभग व्यवसाय का रूप ले ही चुके हैं किन्तु समाज सेवा के नाम पर बनी संस्थाएँ भी अब व्यावसायिक केन्द्र बनती जा रही हैं।

स्पष्ट दिखता है कि भौतिक प्रगति और नैतिक पतन के बीच दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है किन्तु यह बात भी साफ है कि भौतिक प्रगति और नैतिक पतन एक साथ समान गति से आगे बढ़ रहे हैं। भारत के जिन पहाड़ी क्षेत्रों का भौतिक विकास कम हुआ है वहाँ नैतिक पतन भी कम होना संदेह पैदा करता है कि दोनों के बीच में कहीं न कहीं कोई रिश्ता अवश्य है जो हमें नहीं दिखता।

भौतिक उन्नति में विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरह नैतिक पतन में भी राज्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। दुनिया में जिस गति से विज्ञान तरक्की कर रहा है उसी गति से समाज व्यवस्था भी निरंतर कमजोर हो रही है। भौतिक उन्नति और समाज व्यवस्था के बीच सबसे अच्छा संतुलन भारतीय संस्कृति में रहा है। प्राचीन समय में भारत भौतिक प्रगति में भी सारी दुनिया में आगे था और नैतिकता के आधार पर भी। जब भारत में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर होने लगी तब समाज व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई। परिणाम हुआ नैतिक पतन और आपसी टकराव जो धीरे धीरे हमारे गुलामी में बदल गया। इसी तरह पूरी दुनिया में जब इस्लाम और साम्यवाद ने मजबूत होकर धर्म और समाज की व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया तब पूरी दुनिया में भी नैतिक पतन तेज गति से बढ़ा। साम्यवाद ने धर्म को भी अफीम बता दिया तो उसने परिवार व्यवस्था को भी अप्रासंगिक सिद्ध कर दिया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तक को राज्याश्रित बना दिया। परिणाम हुआ भयंकर नैतिक पतन जिसका दुष्परिणाम सारी दुनिया भोग रही है और भारत भी उससे बहुत प्रभावित है।

अब हमें भौतिक उन्नति के साथ साथ नैतिक उत्थान को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। दुनिया इस दिशा में पहल नहीं कर सकेगी किन्तु भारत से इसकी शुरुवात हो सकती है क्योंकि भारत को इसके संतुलन की लाभ हानि का पर्याप्त अनुभव है। भारत में जैसे भी साम्यवाद लगभग समाप्त है और इस्लाम का भी भारतीय संस्करण धीरे धीरे आगे आ रहा है। नैतिक प्रगति की शुरुवात परिवार व्यवस्था, गांव व्यवस्था और समाज व्यवस्था को मजबूत करके किया जा सकता है। इस दिशा में निरंतर प्रयत्न जारी है। नैतिक उत्थान के लिए धर्म व्यवस्था को भी आगे लाने का प्रयास करना चाहिए। इस मामले में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिख का कोई भेद उचित नहीं है। साथ ही भारत में कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का भी

प्रयोग करना चाहिए। यदि ज्ञान, सुरक्षा, सुविधा और सेवा के आधार पर बचपन से ही व्यक्तियों के योग्यतानुसार समूह बनाकर उन्हें उस दिशा में ट्रेनिंग दी जायगी तो नैतिक पतन को रोका जा सकता है। हमें यह भी करना होगा कि राज्य समाज व्यवस्था में हस्तक्षेप न करे बल्कि समाज राज्य व्यवस्था को नियंत्रित कर सकता है क्योंकि समाज राज्य से उपर होता है। मैं चाहता हूँ कि भौतिक उन्नति और नैतिक पतन के एक साथ चलने का जो कलंक दुनिया के माथे पर लगा है उसे धोने की शुरुवात भारत से हो सकती है।

### मंथन क्रमांक 63

#### भारत की आर्थिक समस्या और समाधान

कुछ सर्व स्वीकृति सिद्धान्त है

- 1 पूरी दुनिया तेज गति से भौतिक उन्नति कर रही है और उतनी ही तेज गति से नैतिक पतन हो रहा है।
- 2 प्राचीन समय में भारत विचारों का भी निर्यात करता था तथा आर्थिक दृष्टि से भी सम्पन्न था। दो तीन हजार वर्षों से भारत सभी मामलों में पीछे चला गया है।
- 3 राजनीति धर्म समाज सेवा आदि सभी क्षेत्रों का व्यवसायीकरण हुआ है। साथ सम्पूर्ण व्यवसाय का भी राजनीतिकरण हो गया है।
- 4 सामाजिक समस्याओं का समाधान समाज को, आर्थिक समस्याओं का समाधान स्वतंत्र बाजार को तथा प्रशासनिक समस्याएँ का समाधान राज्य को करना चाहिये। राज्य को हर मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

दुनिया के हर क्षेत्र में हर व्यवस्था का व्यवसायीकरण हो गया है। साथ ही हर व्यवसाय का राजनीतिकरण भी हुआ है। राजनीति और व्यवसाय एक दूसरे के पूरक बन गये हैं। राजनीति हर मामले में व्यवसाय को दोषी मानती है तो व्यवसाय राजनीति को उचित होता कि दोनों अपनी अपनी सीमाओं में रहते और किसी का उलंघन नहीं करते किन्तु उलंघन सारी दुनिया में जारी है। भारत में तो विशेष रूप से दोनों एक साथ एक दूसरे को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि लगातार समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। भारत में कुल मिलाकर 11 समस्याएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनमें पाँच समस्या आपराधिक, दो अनैतिक, दो सांगठनिक और सिर्फ दो आर्थिक समस्याएँ हैं। पाँच प्रकार की आपराधिक समस्याएँ हैं 1 चोरी डकैती लूट 2 बलात्कार 3 मिलावट कमतौल 4 जालसाजी धोखाधड़ी 5 हिंसा बल प्रयोग। ये सभी समस्याएँ राज्य की कम सक्रियता के कारण बढ़ रही हैं। दो नैतिक समस्याएँ भ्रष्टाचार और चरित्र पतन तथा दो संगठनात्मक समस्याएँ साम्प्रदायिकता और जातीय कटुता राज्य की अधिक सक्रियता के कारण लगातार बढ़ रही हैं। यदि राज्य नैतिक और संगठनात्मक समस्याओं से दूर होकर आपराधिक समस्याओं के समाधान में अधिक सक्रिय हो जाये तो भारत में समस्याएँ अपने आप सुलझ जायेंगी। आर्थिक समस्या भारत में दो ही हैं। 1 आर्थिक असमानता 2 श्रम शोषण। तीसरी कोई आर्थिक समस्या भारत में नहीं है। ये दो समस्याएँ भी राज्य की अति सक्रियता के कारण बढ़ी हैं। यदि राज्य इनके समाधान से स्वयं को दूर कर दे तो ये समस्या बहुत कम हो जायेंगी। राज्य इन दो समस्याओं को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता रहता है और दूसरी ओर समाधान का नाटक भी करते रहता है।

वर्तमान राज्य की भूमिका विल्लियों के बीच बंदर के समान होती है जो हमेशा चाहता है कि विल्लियों की रोटी कभी बराबर न हो। बंदर हमेशा रोटी को बराबर करने का प्रयास करता हुआ दिखे किन्तु होने न दे तथा छोटी रोटी वाली विल्ली के मन में असंतोष की ज्वाला हमेशा जलती रहे। यदि ये तीनों काम एक साथ नहीं होंगे तो लोकतंत्र में बंदर भूखा ही मर जायेगा। राज्य भी ये तीनों काम हमेशा जारी रखता है। राज्य की अर्थ नीति हमेशा आर्थिक विषमता तथा श्रम शोषण को बढ़ाते रहती है। दूसरी ओर राज्य हमेशा मंहगाई गरीबी बेरोजगारी जैसी अस्तित्वहीन समस्याओं का समाधान करते रहता है। इसके साथ ही राज्य हमेशा गरीब और अमीर के बीच असंतोष की ज्वाला को जलाकर रखना चाहता है जिससे वर्ग विद्वेष बढ़ता रहे और राज्य उसका समाधान करता रहे। दुनियाँ जानती है कि भारत में मंहगाई घट रही है, गरीबी भी घट रही है, आम

लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है। किन्तु राज्य दोनों को जिंदा रखे हुए है। दुनियां जानती है कि श्रम और बुद्धि के बीच लगातार दूरी बढ़ती जा रही है किन्तु भारत सरकार गरीब ग्रामीण श्रमजीवी कृषि उत्पादन पर भारी से भारी टैक्स लगाकर शिक्षा स्वास्थ्य जैसे अनेक कार्यों पर खर्च करती है। राज्य की गलत अर्थनीति के कारण पांच समस्याएँ वर्तमान में दिख रही हैं। 1 ग्रामीण और छोटे उद्योगों का बंद होकर शहरी और बड़े उद्योगों में बदलना। 2 किसान आत्महत्या। 3 पर्यावरण का प्रदूषित होना। 4 आयात निर्यात का असंतुलन 5 विदेशी कर्ज का बढ़ना। इन पांचों समस्याओं से भारत परेशान है। भारत सरकार इन समस्याओं के समाधान के लिये भी प्रयत्न कर रही है किन्तु उसके अच्छे परिणाम नहीं आ रहे हैं। दूसरी ओर आर्थिक असमानता और श्रम शोषण भी बढ़ता जा रहा है। 70 वर्षों में गरीब ग्रामीण श्रमजीवी छोटे किसान का जीवन स्तर दो गुना सुधरा है तो बुद्धिजीवी शहरी बड़े किसान का आठ गुना और पूंजीपतियों का 64 गुना। देश की आर्थिक उन्नति का लाभ कमजोर लोगों को 1 प्रतिशत तो सम्पन्न लोगों को पंद्रह प्रतिशत तक हो रहा है। आज भी भारत में अनेक लोग अथाह सम्पत्ति के मालिक बन गये हैं। तथा वे लगातार हवाई जहाज की रफतार से आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर भारत में बीस करोड़ ऐसे भी लोग हैं जो सरकारी आकड़ों के अनुसार बत्तीस रुपये प्रतिदिन से भी कम पर जीवन यापन कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि सरकार पूरी अर्थ व्यवस्था को पूरी तरह स्वतंत्र कर देती तो ये 32 रुपये वाले बहुत जल्दी 100 रुपये तक पहुँच जाते। हो सकता है इस आर्थिक स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप कुछ बुद्धिजीवियों और सम्पन्नो की वृद्धि की रफतार कुछ कम हो जाती। गरीब ग्रामीण श्रमजीवी पर टैक्स लगाकर शिक्षा पर खर्च करना यदि बुद्धिजीवियों का षण्यंत्र नहीं है तो और क्या है। रोटी कपड़ा मकान दवा जैसी मूलभूत आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स लगाकर आवागमन को सस्ता करना सुविधाजनक बनाना यदि पूंजीपतियों का षण्यंत्र नहीं है तो और क्या है। गांवों के पर्यावरण से मुक्त वातावरण से निकलकर शहरों के गंदे वातावरण की ओर आमलोगों को आकर्षित करना और फिर उस गंदगी को साफ करने का ढोंग करना षण्यंत्र नहीं तो क्या है। हमारे प्रधानमंत्री मन की बात में लोगों से मांग करते हैं कि आप पानी बचाइये बिजली बचाइये इस बचे हुए पानी से दिल्ली और बम्बई में कृत्रिम वर्षा कराई जायेगी। इस बची हुई बिजली से शहरों की रोशनी जगमग की जायेगी। यह प्रधानमंत्री का आह्वान नाटक नहीं है तो क्या है। भारत में आर्थिक समस्याएँ बढ़ नहीं रही हैं बल्कि निरंतर बढ़ाई जा रही हैं और उसका उद्देश्य है कि बंदरूपी राज्य भूखा न मर जाये। इसका अर्थ है कि राज्य निरंतर शक्तिशाली बना रहे और भारत की जनता राज्य आश्रित रहे। कभी समझदार नहीं हो जाये। राज्य लोकतांत्रिक तरीके से आर्थिक असमानता और श्रम शोषण को बढ़ाने के लिये चार काम जोर देकर करता है। 1 कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि न हो। 70 वर्षों में कोई ऐसा वर्ष नहीं आया जब डीजल पेट्रोल बिजली केरोशिन कोयला गैस आदि की आंशिक भी मूल्य वृद्धि हुई हो। सारा देश मूल्य वृद्धि को महसूस करता है किन्तु सच्चाई यह है कि आज तक मूल्य वृद्धि हुई ही नहीं है। जिसे मूल्य वृद्धि कहा जाता है वह तो मूद्रा स्फीति है। जान बूझकर प्रतिवर्ष घाटे का बजट बनाया जाता है जिससे प्रति वर्ष मूद्रा स्फीति बढ़ती रहे और लोग मंहगाई मूल्य वृद्धि से अपने को परेशान समझते रहें।

2 कृत्रिम श्रम मूल्य वृद्धि के प्रयत्न। राज्य प्रतिवर्ष श्रम मूल्य में वृद्धि की घोषणा करता है। यह श्रम मूल्य वास्तविक नहीं होता बल्कि नकली होता है। राज्य द्वारा घोषित श्रम मूल्य जितना अधिक होता है उतनी ही वास्तव में श्रम की मांग बाजार में घट जाती है और वास्तविक श्रम मूल्य कम हो जाता है। राज्य इसे ही अपनी उपलब्धि मानता है। यदि राज्य श्रम मूल्य वृद्धि बंद कर दे और न्यूनतम श्रम मूल्य को इस प्रकार घोषित करे जिस तरह उसने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना घोषित की है तब तो बाजार पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अन्यथा श्रम मूल्य वृद्धि की सरकारी योजना श्रम मूल्य वृद्धि पर हमेशा बुरा असर डालती है। राज्य निरंतर ऐसा कर रहा है।

3 शिक्षित बेरोजगार शब्द की उत्पत्ति। एक तरफ तो राज्य गरीब ग्रामीण श्रमजीवी कृषि उत्पादन पर भारी टैक्स लगाकर शिक्षा और आवागमन पर खर्च करता है तो दूसरी ओर शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने का भी निरंतर प्रयास करता है। जबकि सच्चाई यह है कि शिक्षित व्यक्ति कभी बेरोजगार होता ही नहीं। श्रमजीवी के पास रोजगार का एक ही माध्यम होता है और शिक्षित व्यक्ति के पास रोजगार के लिये श्रम तो होता ही है विकल्प के रूप में उसके पास शिक्षा का अतिरिक्त माध्यम भी होता है। इसका अर्थ हुआ कि जिसके पास शिक्षा नहीं है वही बेरोजगार हो सकता है। जिसके पास श्रम भी है और शिक्षा भी है वह बेरोजगार हो ही नहीं सकता। बुद्धिजीवियों ने बेरोजगारी की परिभाषा बदल दी। बेरोजगारी हमेशा श्रम के साथ जुड़ी होनी चाहिये। रोजगार की परिभाषा इस प्रकार होनी चाहिये कि न्यूनतम श्रममूल्य पर योग्यता अनुसार कार्य का अभाव। एक व्यक्ति भूखा और मजबूर होने के कारण सौ रुपये में काम कर रहा है तो सरकार उसे रोजगार प्राप्त मान लेती है। दूसरी ओर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पाच सौ रुपये या 1000 रुपये प्रतिदिन पर भी काम करने को तैयार नहीं है उसे बेरोजगार माना जाता है। यह बेरोजगारी की गलत परिभाषा का परिणाम है।

4 जातीय आरक्षण। स्वतंत्रता के पूर्व बुद्धिजीवियों ने सम्पूर्ण समाज में जन्म के आधार पर अपनी श्रेष्ठता को आरक्षित कर लिया था ब्राम्हण का लडका ब्राम्हण और शुद्र का लडका श्रमिक ही बनेगा। यह बाध्यकारी कर

दिया गया था । इस आरक्षण ने भारी विषंगतियां पैदा की थी । स्वतंत्रता के बाद इस आरक्षण का भरपूर लाभ भी भीम राव अम्बेडकर ने उठाया । उन्होने बुद्धिजीवियों का पक्ष लेकर सवर्ण बुद्धिजीवियों और अवर्ण बुद्धिजीवियों के बीच एक समझौता करा दिया जिसका परिणाम हुआ कि श्रम बेचारा अलग थलग पड़ गया । आज भी 90 प्रतिशत आदिवासी हरिजन उसी प्रकार गरीब ग्रामीण श्रमजीवी का जीवन जीने के लिये मजबूर है । और बदले में चार पांच प्रतिशत अवर्ण बुद्धिजीवी भारी उन्नती करके इन बेचारों का शोषण कर रहे हैं । पूरी विडम्बना है कि भारत का हर सवर्ण और अवर्ण बुद्धिजीवी भीम राव अम्बेडकर की भूरि भूरि प्रशंसा करता है क्योंकि भीम राव अम्बेडकर ही अकेले ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने हजारों वर्षों से चले आ रहे श्रम शोषण को संवैधानिक स्वरूप दे दिया ।

मेरे विचार में भारत की सभी आर्थिक समस्याएँ राज्य निर्मित हैं । राज्य अर्थ व्यवस्था को पूरी तरह बाजार आश्रित कर दे तो ये समस्याएँ बहुत कम हो जायेगी । इसके साथ साथ यदि कृत्रिम उर्जा का वर्तमान मूल्य ढाई गुना बढ़ाकर पूरी धन राशि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिमाह उर्जा सब्सीडी के रूप में बराबर बराबर बाँट दिया जाये तो दो वास्तविक समस्याएँ श्रम शोषण और आर्थिक असमानता भी अपने आप सुलझ जायेगी । मेरे विचार से एक अनुमान के आधार पर पांच व्यक्तियों के एक परिवार को करीब सवा लाख रूपया उर्जा सब्सीडी के रूप में प्रतिवर्ष मिलता रहेगा । इससे श्रम मूल्य भी बढ़ जायेगा आर्थिक असमानता भी कम हो जायेगी तथा अन्य अनेक आर्थिक समस्याएँ अपने आप सुलझ जायेगी ।

मैं जानता हूँ कि भारत में सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था पर पूंजीपति और बुद्धिजीवियों का एकाधिकार है । इस एकाधिकार के लिये ये दोनों राज्य का सहारा लेते हैं । भारत के ये बुद्धिजीवी और पूंजीपति कभी नहीं चाहेगे कि कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि हो क्योंकि ऐसा होते ही उन्हें मंहगा श्रम खरीदना होगा । आवागमन मंहगा हो जायेगा । उन्हें शहर में रहने में अधिक खर्च करना पड़ेगा । उनकी सुविधाएँ घटेगी और उन्हें कुछ अन्य परेशानियाँ भी होंगी । यदि बिल्लियाँ मजबूत होंगी तो बंदर को परेशानी होगी ही । इसलिये ये दोनों ऐसा नहीं होने देंगे यह निश्चित है और इसके अलावा इस समस्या का कोई भी अलग समाधान है भी नहीं । मैं चाहता हूँ कि भारत में आर्थिक समस्या के आर्थिक समाधान पर एक स्वतंत्र विचार मंथन की शुरुआत हो जिससे भारत के आम जन जीवन पर बुद्धिजीवी पूंजीपति षणयंत्रक विपरीत प्रभाव से मुक्ति मिल सके ।

प्रश्न—नितेश कुमार कोली, — क्या आपको कोई ऐसी संभावना दिख रही है कि निकट भविष्य में संघ परिवार और मोदी के बीच भी संबंध कमजोर हो सकते हैं ? आपने संघ परिवार को जो सलाह दी उसी तरह नरेन्द्र मोदी को कोई सलाह क्यों नहीं दी?

उत्तर—संघ परिवार से जुड़े लोग उच्च चरित्रवान, ईमानदार, रुढ़िवादी और नासमझ होते हैं । वे परिस्थिति अनुसार लचीले नहीं होते । वे मस्तिष्क की अपेक्षा हृदय का अधिक उपयोग करते हैं । नरेन्द्र मोदी संघ प्रवृत्ति के ठीक विपरीत हैं । संघ समस्याओं के समाधान के प्रति कम और उसका श्रेय लेने के प्रति अधिक उत्सुक रहता है । संघ समस्याओं के विरुद्ध संघर्ष तो कर सकता है किन्तु समाधान न कर सकता है न सुझा सकता है । संघ प्रमुख एक तानाशाह होता है । उसे यह स्वीकार नहीं कि कोई दूसरा उसके समकक्ष हो । ज्यों ज्यों नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ेगी त्यों त्यों संघ प्रमुख का कष्ट बढ़ेगा । अभी मुसलमानों और विपक्ष ने एकजुट होकर मोदी को चुनौती दी है इसलिए मोदी को संघ का समर्थन है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि संघ प्रमुख बिल्कुल निष्क्रिय हैं । 2019 में यदि मोदी को भरपूर समर्थन मिला तो संघ प्रमुख ही विपक्ष के रूप में सामने आयेंगे । मेरे विचार में मोदी की लाइन ठीक है और संघ की गलत क्योंकि मैं स्वयं हृदय की तुलना में मस्तिष्क प्रधान अधिक हूँ । इसलिए मैंने संघ को यह सलाह दी है और मोदी को नहीं । क्योंकि मोदी ठीक दिशा में चल रहे हैं ।

प्रश्नोत्तर

श्री विश्वनाथ कुमार सीनियर लेक्चरर बडागांव कालेज वाराणसी उत्तर प्रदेश

विचार—सरकार और गांधीवादी उनकी सादगी सच्चाई एवं कर्मठता को तो नहीं अपनाते हैं परन्तु गांधी को भगवान बनाकर अपनी मठाधीशी चलाने का प्रयास करते हैं । गांधी जी ने ब्रिटेन में पढ़ते हुए ही तार्किक समाज का गठन किया था । उनसे प्रेरित होकर मैं अपने मन में उठने वाले तर्कों एवं विचारों को प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

- 1 गांधी जी यह जानते हुए भी दक्षिण अफ्रीका में बोअरों एवं जुलूओं का पक्ष न्याय का था (संदर्भ दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास 81 तथा संक्षिप्त आत्मकथा 1869-1920, 70-71) अंग्रेजों की सेना में शामिल होकर अन्याय का साथ क्यों दिया?
- 2 आश्रम की युवा लड़कियों को एक साथ नदी में स्नान करने के लिये भेजने तथा एक लड़की द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत करने पर पीड़िता का ही बाल कटवा देना क्या न्यायोचित था? इससे अन्य छात्राएँ भी अन्याय सहने के लिये बाध्य नहीं हुई होंगी। (संदर्भ दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास 278-79)
- 3 साँप आदि प्राणियों को मारने में पाप की शिक्षा देना तथा कुछ दिनों बाद कमरे में पाये गये साँप को मारने का आदेश देना कैसी अहिंसा थी। (संदर्भ दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास 285-288)
- 4 अंग्रेजों द्वारा बर्बर हिंसा के जबाब में अंग्रेजों की हत्या करने वाले क्रान्तिकारियों को आतंकवादी जबकि स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या करने वाले अब्दुल रशीद को भाई कहना उनकी किस मानसिकता का दर्शाता है। (बापू कथा 86)
- 5 गांधी जी भारतीयों द्वारा की गई 1857 की क्रान्ति को महज बलवा दंगा / फसाद ही क्यों मानते थे। संदर्भ हिंद स्वराज्य 71
- 6 वे मांस की तरह पशु का दूध भी मनुष्य की खुराक नहीं मानते थे। गोरक्षा की बात करने वाले महात्मा ने गाय का दूध त्याग कर बकरी का दूध क्यों इस्तेमाल किया था? संदर्भ संक्षिप्त आत्मकथा 116 से 148
- 7 लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित अपने नेता सुभाषचंद्र बोस का विरोध एवं असहयोग करना क्या नैतिकता थी? तत्कालीन प्रतिभावान नेता को किसके लिये रास्ते से हटाया था?
- 8 विश्वयुद्धों में अंग्रेजों का साथ देना क्यों जरूरी था? प्रथम विश्वयुद्ध में अंग्रेजों की तरफ से भाग लेने हेतु छ सप्ताह का शिक्षा क्रम सीखने के बाद ट्रेनिंग ली थी। परन्तु बीमार पड़ जाने के कारण इंग्लैंड से भारत वापस आ गये तब भारत में ही अंग्रेजों की सेना में युवाओं की भर्ती के लिये अभियान चलाते थे।
- 9 तुर्की के खिलाफ आंदोलन का भारत में विस्तार करके भारतीय मुसलमानों का अंतर्राष्ट्रीय करण क्यों किया?
- 10 1922 में चरम पर पहुँचते हुए आंदोलन को हिंसा के नाम पर समाप्त करने से किसका भला हुआ था। जिसके चलते अंग्रेजों को 25 साल और ज्यादा शासन करने का मौका मिला।
- 11 भगत सिंह की शहादत से आकोशित जन समूह को अपने साथ बनाये रखने के लिये आखिर 1942 में करो या मरो जैसा हिंसात्मक उकसावे वाला नारा क्यों देना पड़ा था। ?
- 12 हिन्दुओं के हित में कुछ भी नहीं करने के बावजूद गांधी जी रामराज्य की बात करके मुसलमानों में गलत संदेश क्यों देते थे?
- 13 मुसलमानों द्वारा एक तिहाई निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित करने की मांग न मानना पर 20 प्रतिशत आबादी के लिये एक तिहाई भूभाग क्यों दे दिया?
- 14 कहते थे कि देश का विभाजन उनकी लाश पर होगा पर विभाजन उनकी सहमति से क्यों हुआ? संदर्भ बापू कथा 213-214
- 15 कांग्रेस कार्य समिति को बंटवारे पर सहमत करने के लिये सफल प्रयास क्यों किया था? बापू कथा 225
- 16 अगर बंटवारा अपरिहार्य ही था तो इसको योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिये था न कि 14 अगस्त 1947 की रात में। जिसके चलते जो लोग भारत में रहना चाहते थे वे पाकिस्तान में तथा जो पाकिस्तान में रहना चाहते थे वे भारत में चले गये। अफरा तफरी में करोड़ों लोग मारे गये? माँ बहनो के उपर अत्याचार हुआ तथा बेघर हो गये। इसके लिये कौन जिम्मेदार था?



17 बंटवारे के बावजूद पुनः विभाजन का बीज भारत में ही क्यों छोड़ दिया?

18 बहुमत सरदार पटेल के पक्ष में था पर अपने विचारों से प० जवाहर लाल को प्रधानमंत्री बनवाकर लोकतंत्र की हत्या क्यों की थी।

19 एक पिता के रूप में अपने बच्चे की शिक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ प्रयोग करना कहां तक उचित था? बड़ा पुत्र हरिलाल उनसे विद्रोही होकर मुसलमान बन गये थे तथा शराब एवं वेश्यावृत्ति के आदी हो गये थे।

20 अपनी पत्नी के अलावा अन्य महिलाओं के साथ ब्रह्मचर्य का प्रयोग करना कहा तक मर्यादित था?

21 गांधी जी अपनी असफलताओं ( बच्चों की शिक्षा अंग्रेजों द्वारा वादाखिलाफी प्रतिज्ञाओं से विमुख होना हिन्दू मुसलिम दंगे बंटवारा अपने लोगों द्वारा उपेक्षा एवं विश्वासघात ) को स्वयं ही स्वीकारते हैं पर आधुनिक गांधीवादी भूलों से शिक्षा लेने की बजाये उन्हें सही क्यों सावित करते हैं। ?

22 यदि गांधी के बताये गये मार्ग एवं किये गये व्यवहार इतने ही प्रासंगिक हैं तो उनके अनुयायियों की सरकारें उनको लागू करने के बजाये अपने हित में लोगों को अहिंसक बनाये रखने हेतु केवल गांधीवाद के प्रचार प्रसार का ढकोसला क्यों करती हैं?

उत्तर – मैं एक दिसम्बर 17 को आपके कालेज में आपके आमंत्रण पर भारत की आर्थिक व्यवस्था पर विचार रखने और प्रश्नोत्तर के लिये गया था। गांधी के विषय पर आपने पर्चा दिया था। समयाभाव के कारण मैं वहां उत्तर नहीं दे सका था।

हम दो लोग अलग अलग तरीके से बगीचे में कुछ पेड़ लगाते हैं। आप अपनी मान्यताओं के अनुसार उसमें खाद पानी देते हैं और मैं उसके ठीक विपरीत अपने तरीके से। आपके पेड़ फल नहीं देते और मेरे फल दे रहे हैं। प्रश्न यह नहीं है कि किसका तरीका ठीक था। प्रयोग ठीक है या गलत इसका अंतिम निष्कर्ष परिणाम ही देते हैं तर्क नहीं। स्वतंत्रता के समय एक गांधी मार्ग था और दूसरा क्रान्तिकारी मार्ग जिसमें सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह तथा अन्य बहुत लोग थे। गांधी मार्ग से गांधी को छोड़कर अन्य सब लोग असहमत थे जिसमें नेहरू अम्बेडकर सरदार पटेल संघ हिन्दू महासभा सुभाष चंद्रबोस भगत सिंह आदि सब थे। कुछ लोग किसी मजबूरी में गांधी का साथ दे रहे थे तो कुछ खुले विरोधी थे। इसके ठीक अलग दो पक्ष इसमें निर्णायक थे। एक देश की जनता और दूसरा अंग्रेज प्रशासक। प्रश्न उठता है कि स्वतंत्रता संघर्ष में देश की जनता गांधी के साथ अधिक गई या क्रान्तिकारियों के साथ। अंग्रेज गांधी के साथ सहमत हुए या क्रान्तिकारियों के साथ। गांधी मार्ग सही था या गलत इसकी एक मात्र कसौटी देश की जनता का समर्थन और स्वतंत्रता की प्राप्ति ही हो सकता था। गांधी अकेले एक मार्ग पर चल रहे थे तो क्रान्तिकारी ठीक भिन्न मार्ग पर। दोनों के बीच में मार्ग की प्रतिस्पर्धा थी कि किसके साथ अधिक लोग सक्रिय होते हैं और किसे सफलता मिलती है। भगत सिंह ने जो प्रयत्न किया उसके बाद बहुत से लोगों ने कहीं और जाकर बम नहीं फेंका। सुभाष चंद्र बोस ने जो प्रयत्न किया वह प्रयत्न आगे नहीं बढ़ पाया लेकिन गांधी ने जो प्रयत्न किया वह प्रयत्न भले ही गलत हो किन्तु उसे पुरे देश का समर्थन मिला। आप विचार करिये कि किसका मार्ग सही था किसका गलत? सरदार पटेल को गांधी ने प्रधान मंत्री नहीं बनने दिया तो सरदार पटेल ने गांधी को कांग्रेस से क्यों नहीं निकाल दिया। स्पष्ट है कि गांधी के साथ जन समर्थन था और पटेल के साथ कांग्रेस पार्टी का समर्थन। क्या गांधी ने किसी को जन समर्थन प्राप्त करने से रोका था? बल्कि गांधी ने किसी की प्रगति में कोई बाधा पैदा नहीं की। किसी क्रान्तिकारी की नीयत पर संदेह नहीं किया। गांधी अपनी लकीर को बड़ा करते रहे और संघ परिवार अथवा अन्य दूसरे लोग गांधी की लकीर को छोटा करते रहे। यदि ये अपनी लकीर को गांधी से बड़ा कर लेते तो गांधी का क्या महत्व रह जाता। आज आप गांधी की जिन कमजोरियों की चर्चा कर रहे हैं वे सारे दुर्गुण उस समय की भारत की जनता आज की तुलना में अधिक जानती होगी फिर भी उसने गांधी का साथ दिया। और मैं समझता हूँ कि यदि आप भी उस समय रहे होते तो हो सकता है कि गांधी का साथ देते। असफल लोग अपनी असफलता के लिये इसी तरह दूसरों को दोष देते रहते हैं। आज भी आपने गांधी की जितनी समीक्षा की है उसकी तुलना में यदि अपनी उपलब्धियों की चर्चा करते तो अधिक देश का भला होता।

आप जानते हैं कि उस समय एक तराजू पर अकेले गांधी खड़े थे तो दूसरी तरफ तराजू पर सारे क्रान्तिकारी तथा गांधी विरोधी । नेहरू पटेल अम्बेडकर आदि भी आधे अधूरे मन से ही गांधी के साथ थे। लेकिन अकेले गांधी सारे बौने लोगो से भारी थे। क्योंकि गांधी सत्ता और सम्पत्ति के अकेन्द्रियकरण के पक्ष में थे तो बाकी सब सत्ता परिवर्तन के पक्ष में । अन्य सब लोग भारत की जनता को सशक्त न करके स्वयं को मजबूत करना चाहते थे । तभी तो गांधी विरोधी विचार धारा ने गांधी की हत्या तक का कदम उठाना उचित समझा। जिस गांधी ने किसी प्रतिस्पर्धी की स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा में कभी कोई बाधा न पैदा करके अपना स्वतंत्र मार्ग चुना उस गांधी को प्रतिस्पर्धी लोगो ने पग पग पर बाधा पहुंचाई और अंत में समाप्त कर दिया । इसे मैं गांधी की सफलता मानता हूँ और अन्य लोगो की असफलता । गांधी के सारे कदम गलत हो सकते हैं किन्तु नीयत गलत नहीं थी । अन्य लोगो के सारे कदम ठीक हो सकते हैं किन्तु नीयत ठीक नहीं थी इसलिये तो स्वतंत्रता के बाद जो राजनैतिक व्यवस्था आई उसमें भारत में सत्ता और सम्पत्ति का निरंतर केन्द्रियकरण हुआ । अकेन्द्रियकरण नहीं। जो लोग क्रान्तिकारी बनना चाहते हैं, सुभाष और भगत सिंह के मार्ग पर चलना चाहते हैं, वे दूसरो से अपेक्षा क्यों कर रहे ह। क्यों नहीं वे स्वयं सुभाष और भगत सिंह के मार्ग पर चल पड़ते हैं। किसने रोका है कि वे बम लेकर मत कूदें या शत्रुओं पर सीधा आक्रमण न कर दें। जो व्यक्ति अपने शहर के गुंडो से टकराने में डरता हो वह भगत सिंह और सुभाषचंद्र बोस के मार्ग की शिक्षा दे यह समझ में नहीं आता। गांधी ने कभी सुभाष चंद्र बोस से यह नहीं कहा कि वह रूस और अमेरिका पर आक्रमण न करें या वे सीधे ब्रिटेन पर हमला करके न जीत लें। इसलिये प्रश्न यह नहीं है कि गांधी गलत थे या नहीं । प्रश्न यह है कि गांधी के साथ न्याय हुआ या नहीं । मैं समझता हूँ कि गांधी ने अपने प्रतिस्पर्धीयों के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं किया और प्रतिस्पर्धी विचारों के लोगो ने गांधी के साथ कोई न्याय नहीं किया । उनकी कार्य प्रणाली ने दम नहीं था न ही आम लोगो का समर्थन था। जन समर्थन के अभाव में गांधी की आलोचना करने के अतिरिक्त करने के अतिरिक्त उनके पास कोई काम नहीं था और आज भी सारे सत्ता लोलुप गांधी की प्रशंसा और आलोचना करते रहते हैं। किन्तु न तो प्रशंसा करने वाले समाज को लोक स्वराज्य देते हैं न आलोचना करने वाले । सत्ता और सम्पत्ति के केन्द्रीयकरण के मामले में दोनों एक जुट हो जाते हैं। न गांधी की पूजा करने वाले परिवार गांव को सत्ता सम्पत्ति का अधिकार देने के पक्षधर हैं न ही गांधी की आलोचना करने वाले। मैं गांधी का प्रशंसक नहीं किन्तु गांधी मार्ग का प्रशंसक जरूर हूँ। मैं सत्ता और सम्पत्ति के विकेन्द्रीयकरण का पक्षधर हूँ । भले ही यह कार्य कोई मांसाहारी करे या शाकाहारी । भले ही यह कार्य कोई इन्द्रियलोलुप करे या ब्रह्मचारी । इसलिये मैंने आपके पत्र का विस्तृत उत्तर देना उचित समझा।